



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

फैसला - १०१९ I-17

प्र० क० विविध -एक / 17

वा. नं. १६/०१/१७ को  
द्वारा आदेश प्र० क०

उक्त  
जला १६/०१/१७  
गजरख ३०८५

०२४६  
१६/०१/१७

जसुवा —— आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन —— अनावेदक

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :-

1— यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 2776—तीन / 13 में दिनांक 15.07.2013 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से पृष्ठ क्रमांक—1 के पैराग्राफ—2 के लाइन नम्बर—3 में खसरा क्रमांक 569 / 1 / 4 के स्थान पर त्रुटिवश खसरा नम्बर 569 / 4 टंकित हो गया है।

अतः मानो न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृष्ठ क्रमांक—1 के पैराग्राफ—2 के लाइन नम्बर—3 में खसरा क्रमांक 569 / 4 के स्थान पर खसरा क्रमांक 569 / 1 / 4 टंकित किये जाने की कृपा की जावें।

इति दिनांक 16/01/17

स्थान— ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक  
रजनी वैशिष्ठ शर्मा

एडवोकेट

R/ce

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9019—एक/17

जिला—छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16.01.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा भूल सुधार आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 2776—तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.13 में भूलवश टंकण की त्रुटि से पृष्ठ क्रमांक 1 के पैराग्राफ 2 के लाइन नम्बर 3 में खसरा क्रमांक 569/1/4 के स्थान पर त्रुटिवश खसरा नम्बर 569/4 टंकित हो गया है। उनके द्वारा खसरा क्रमांक 569/4 के स्थान पर खसरा क्रमांक 569/1/4 किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त खसरा क्रमांक की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा पृष्ठ क्रमांक 1 के पैराग्राफ 2 के लाइन नम्बर 3 में खसरा क्रमांक 569/4 के स्थान पर खसरा क्रमांक 569/1/4 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p></p>	